

# वन विभाग हरियाणा

## शुद्धि पत्र

(काष्ठ आधारित उद्योग)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा प्रदेश द्वारा दिनांक 30.11.2021 को हुई सभा में निर्णय लिया गया था कि काष्ठ की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नए लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन जिला पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक व झज्जर के लिए आवेदन करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल [www.haryanaforest.gov.in](http://www.haryanaforest.gov.in) खोला गया था। लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से यह पोर्टल निर्धारित अवधि के अन्दर अवरूढ होता रहा है जिस कारण नए लाईसेंस के इच्छुक आवेदक अपना फार्म समय पर ऑनलाईन नहीं भर सके।

अतः सम्बन्धित जिले के सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अब नए लाईसेंस के फार्म ऑनलाईन भरने का समय आगे एक महीना अर्थात् 15.01.2022 से 15.02.2022 तक बढ़ा दिया गया है। बाकि सभी निर्धारित शर्तें एवं नियम तथा आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश तथा अन्य "आवश्यक सूचना-16" अनुसार ही रहेंगे। सम्बन्धित IP address <http://164.100.137.122/> है।



अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वानिकी),  
एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति,  
काष्ठ आधारित उद्योग हरियाणा, सी.18, वन भवन,  
सैक्टर 6, पंचकूला।

